

## अरावली को हरति संरक्षण

### प्रलिस के लयः

अरावली रेंज का भौतिक भूगोल, पंजाब भूमि संरक्षण अधनियम, वन संरक्षण अधनियम 1980

### मेन्स के लयः

अरावली रेंज का महत्त्व, वन संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [अरावली परवतमाला](#) में वन भूमि के लयि [हरति संरक्षण](#) का वसितार कयि।

- न्यायालय के नरिणय का अर्थ है कहरियाणा में अरावली और शवालिकि में लगभग 30,000 हेक्टेयर वन भूमि मानी जाएगी।

## सर्वोच्च न्यायालय का नरिणयः

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कहरियाणा में [पंजाब भूमि संरक्षण अधनियम \(PLPA\)](#) की धारा 4 के तहत जारी वशिष आदेशों के अंतरगत आने वाली सभी भूमि को वन क्षेत्र माना जाएगा तथा यह भूमि [1980 के वन संरक्षण अधनियम](#) के तहत संरक्षण की हकदार होगी।
  - धारा 4 के तहत आने वाली ऐसी भूमि में केंद्र सरकार की सहमतकि के बनिा कोई व्यावसायकि गतविधि यिा इसका गैर-वन उपयोग नहीं कयि जा सकता है।
- यह भी कहा गया है क PLPA की धारा 4 के तहत जारी वशिष आदेशों के अंतरगत आने वाली भूमि तथा वन अधनियम की धारा 2 के तहत आने वाली सभी भूमि वन के रूप में शामिल होगी।
- न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने में ऐसी भूमि से कसि भी गैर-वन गतविधिकि हटाने और अनुपालन रपिर्ट देने का नरिदेश दयि।
- पीठ ने सतिंबर 2018 के एक नरिणय पर वचिर कयिा जसिमें PLPA के तहत सभी भूमि को वन क्षेत्र माना जा सकता है।
  - हाल के नरिणय ने स्पष्ट कयिा क पिछला नरिणय PLPA की धारा 4 और वन अधनियम की धारा 2 के संबंध में इसके कानूनी प्रभाव की बारीकी से जाँच करने में वफिल रहा।

# Protecting Haryana's ecology

## IN CONTENTION

At the heart of the issue is the classification of land under Section 4 of the colonial era Punjab Land Preservation Act (PLPA), which remains in force since Haryana was part of undivided Punjab. The Section was used to demarcate certain areas that need to be protected from any sort of erosion

## PAST ORDERS

- The issue dates back to past Supreme Court orders, in particular one in 2018 which held that areas notified under Section 4 of the PLPA should be deemed as forest land under the Forest Conservation Act
- The 2018 ruling deemed any construction on those classified lands as illegal, and should therefore be demolished

## HARYANA'S RESPONSE

- The state said the 2018 order would mean 100% area of 11 of the state's 22 districts, including Gurugram and Faridabad, would need to be razed
- The state in February 2019 passed an amendment to the PLPA and excluded certain land meant for construction from the PLPA classification. This amendment was stayed by a Supreme Court bench a month later

## THE LATEST RULING

- The SC upheld that Section 4 demarcations were valid and had "trappings of forest lands"
- The court also made a distinction – even if all demarcations were considered to be falling within parameters of protection of the PLPA, this did not make them fall within the Forest Act provisions
- It also rejected the state's contention that all 11 districts will need to be considered as forests, saying that in case of Gurugram, PLPA's Section 4 will apply only 5.4% of the land



## PLPA की धारा 4 और वन अधिनियम की धारा 2:


### ■ पंजाब भूमिसंरक्षण अधिनियम (PLPA) की धारा 4:

- PLPA की धारा 4 के तहत वशिष आदेश का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा एक नरिदष्टि क्षेत्र में वनों की कटाई (जसिसे मटिटी का क्षरण हो सकता है) को रोकने के लयि जारी कयि गए प्रतबिधात्मक प्रावधान से है ।
- जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कबिड़े क्षेत्र का हसिसा बनने वाले वन क्षेत्र के वनों की कटाई से मटिटी का क्षरण होने की संभावना है, तो धारा 4 के तहत शक्तिका प्रयोग कयि जा सकता है ।
  - इसलयि जसि वशिषि्ट भूमिके संबंघ में PLPA की धारा 4 के तहत वशिष आदेश जारी कयि गया है, उसमें वन अधिनियम द्वारा शासति वन के सभी नयिम शामिल होंगे ।
- जबकिल PLPA की धारा 4 के वशिष आदेशों के तहत अधसिूचति भूमिवन भूमिहोगी, PLPA के तहत सभी भूमिवास्तव में वन अधिनियम के अर्थ में वन भूमिनी मानी जाएगी ।

### ■ वन अधिनियम की धारा 2:

- वन अधिनियम की धारा 2 केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बनिावनों के अनारक्षण या गैर-वन उद्देश्यों के लयि वन भूमिके उपयोग पर प्रतबिंध लगाती है ।
  - कसिी भूमिको वन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत शामिल करने के बाद चाहे धारा 4 के अंतर्गत वशिष आदेश जारी हो या नहीं, वह वन भूमिनी मानी जाएगी ।

## अरावली रेंज:



#### ■ अवस्थिति:

- अरावली रेंज का वसितार गुजरात के हममतनगर से दलिली तक लगभग 720 कमी. की दूरी तक है, जो हरयाणा और राजस्थान तक वसितारति है ।

#### ■ रचना:

- अरावली रेंज लाखों साल पुराना है, जसिका नरिमाण भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ ।

#### ■ आयु:

- [कार्बन डेटिंग](#) से पता चला है क अरावली रेंज में ताँबे और अन्य धातुओं का खनन लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कया गया था ।

#### ■ वशिषताएँ:

- अरावली वशिष के सबसे पुराने वलति परवतों में से एक है, जो अब एक अवशिषट परवत के रूप में वदियमान है, इसकी ऊँचाई 300 मीटर से 900 मीटर के बीच है ।
- अरावली रेंज की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर स्थति गुरु शखिर (1,722 मीटर) है ।
- यह मुख्य रूप से वलति परवत है, जसिका नरिमाण दो प्लेटों के अभसिरण के कारण हुआ है ।

#### ■ वसितार:

- पहाड़ों को राजस्थान में दो मुख्य श्रेणियों सांभर सरिही रेंज और सांभर खेतड़ी रेंज में वभाजति कया गया है, जहाँ उनका वसितार लगभग 560 कमी. तक है ।
- दलिली से लेकर हरदिवार तक फैले अरावली का अदृश्य भाग गंगा और सधु नदियों के जल के बीच एक वभाजन बनाता है ।

#### ■ महत्त्व:

##### ○ मरुस्थलीकरण को रोकने में:

- अरावली पहाड़ी पूर्व में उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में रेतीले रेगसितान के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है ।
- ऐतहिसिक रूप से यह कहा जाता है क अरावली शृंखला [नेथार मरुस्थल](#) को गंगा के मैदानों तक वसितारति होने से रोकने का कार्य कया है जो नदियों और मैदानों के जलग्रहण कषेत्र के रूप में कार्य करता था ।

##### ○ जैववधिता में समृद्ध:

- यह पौधों की 300 स्थानिक प्रजातियों, 120 पक्षी प्रजातियों और सयार तथा नेवले जैसे कई वशिषट जानवरों को आश्रय प्रदान करता है ।

##### ○ पर्यावरण पर प्रभाव:

- अरावली का **उत्तर-पश्चिम भारत और उसके बाहर** की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है ।
- यह रेंज मानसून के दौरान बादलों को शमिला और नैनीताल की ओर मोड़ने में सहायता करता है, जसिसे उप-हिमालयी नदियों को जल प्राप्त होता है और इस जल से उत्तर भारत के मैदानी कषेत्रों को पानी की प्राप्त होती है ।
- सर्दियों के मौसम में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं से बचाता है ।

**यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:**

**प्रश्न. नमिनलखिति युगमों वचिर कीजयि: (2015)**

**तीरथ**                      **स्थान**

1. श्रीशैलम     : नललामाला पहाड़ी
2. ओंकारेश्वर   : सतमाला पहाड़ी
3. पुष्कर         : महादेव पहाड़ी

**उपरयुक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

**उत्तर: (a)**

**व्याख्या:**

- श्रीशैलम नललामाला पहाड़ियों की चोटी पर स्थति है। यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़लि में कृष्णा नदी के दाहनि ओर है। यह सदयों से शैव तीरथयात्रा का लोकप्रयि केंद्र रहा है। **अतः युगम 1 सही सुमेलति है।**
- ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा ज़लि में स्थति है। यह भगवान शवि के 12 ज्योतरिलगिों में से एक है। यह नर्मदा नदी में मांधाता या शविपुरी नामक द्वीप पर स्थति है। द्वीप का आकार हद्वि 'ओम' प्रतीक जैसा बताया गया है। दूसरी ओर सतमाला पहाड़यिों महाराष्ट्र के नासकि ज़लि में फैली हुई हैं। वे नासकि के भीतर सह्याद्री श्रेणी का एक अभनि अंग हैं। **अतः युगम 2 सही सुमेलति नहीं है।**
- पुष्कर राजस्थान के अजमेर ज़लि का एक कस्बा है। यह हद्विओं और सखिों का एक धारमकि तीरथस्थल है। पुष्कर राजस्थान के मध्य-पूरवी भाग में अरावली पर्वत के पश्चमि में है, जबकि महादेव पहाड़यिों मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़यिों की एक शृंखला है। ये पहाड़यिों सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में स्थति हैं। **अतः युगम 3 सुमेलति नहीं है।**

**अतः विकल्प A सही है।**

**स्रोत: हद्विस्तान टाइम्स**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/green-protection-to-aravalli>